राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प॰ 19(7)गृह–5/2015 जयपुर, दिनांक : 25–08–2015

परिपत्र

इस अनुभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2011 द्वारा समय–समय पर महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरणों का अनुसंधान सी.बी.आई. दल से करवाये जाने हेतु दलों को कार्यालय, ठहरने, परिवहन आदि सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु व्यवस्था प्रतिपादित की गई थी। वर्ष 2011 के पश्चात उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यथासम्भव समस्त संसाधन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

इस बाबत विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैः–

1. सी.बी.आई. अनुसंधान दलों को समस्त संसाधन यथा कार्यालय, वाहन, दूरभाष, फैक्स, कम्प्यूटर, ठहरने हेतु आवास, आवश्यक सुरक्षा आदि उपलब्ध कराने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.11.2011 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रतिपादित व्यवस्था के तहत की जानी जारी रहेगी।

2. सी.बी.आई. दलों के कार्यालयों हेतु कमरे सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक के अधीन राजकीय कार्यालय, पुलिस अतिथि गृह/पुलिस अन्वेषण भवन में उपलब्ध कराये जायेगें। उक्त स्थानों पर स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में ही संबंधित अधिकारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गृह विभाग की पूर्व अनुमति से ही आर.टी.डी.सी. होटलों में इस प्रयोजन के लिये कमरे किराये पर लिये जा सकेगें, जिसका भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी होने के पश्चात उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जायेगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक प.1(21)साप्र/5/2011 पार्ट दिनांक 22.06.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार सी.बी.आई. के पात्र अधिकारीगण को पात्रतानुसार सर्किट हाउस में रियायती दर पर आवास/भोजनादि की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। सी.बी.आई. के पात्र अधिकारियों के अतिरिक्त सी.बी.आई. के अन्य कार्मिकों एवं अधिक अवधि हेतु आवासीय सुविधा/अस्थाई कार्यालय हेतु कमरें चाहे जाने पर जिलों में स्थित पुलिस विभाग के अन्वेषण भवन/पुलिस गेस्ट हाउस में ठहराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

क्र0पृ0उ0

4. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्र के अनुसार सी.बी.आई. दल को ठहरने हेतु स्थान सर्वप्रथम जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन पुलिस अतिथि गृह/पुलिस अन्वेषण भवन, वहाँ स्थान उपलब्ध न होने पर सर्किट हाउस में उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्थानों पर स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में ही संबंधित अधिकारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गृह विभाग की पूर्व अनुमति से ही आर.टी.डी.सी. होटलों में इस प्रयोजन के लिये कमरे किराये पर लिये जा सकेगें, जिसका भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी होने के पश्चात उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जायेगा।

यह परिपत्र वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 101503028 दिनांक 19.08.2015 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सन्दीप वर्मा)
शासन सचिव–गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन (आर.टी.डी.सी.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून–व्यवस्था), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
10. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राज0/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

(जगदीप सिंह कुशवाह)
शासन उप सचिव–सुरक्षा

प्रमाणित
27/1/17
(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव